न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 48

दायर दिनांक : 18.03.2019

1. अमीर खां पुत्र अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. बजीरा पत्नी अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. मीना बी पत्नी फारूख पुत्री अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. लालसैन बी पत्नी जुम्मेखां पुत्री अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92—ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 16.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादीगण व राज पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92—ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूरजभान पुत्र सरदूल जाति बिश्नोई निवासी चक 11 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ के पास चक उदयपुर उदासर के खसरा नं. 56 मिन में 7.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि थी जिसकी खातेदारी सनद सं. 8368/5397 दिनांक 28.03.1970 को जारी हो चुकी थी जिसकी बरवक्त चकबन्दी चक 17.600 आर.डी.आर. के पत्थर नं.

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

95/62 के किला नं. 3–4/2.00 बीघा, 7 ता 11/5.00 बीघा, कुल 7.00 बीघा अनकमाण्ड में फिटिंग हुई। वादीया सं. 2 के पति व वादी सं. 1, 3, 4 के पिता अतामोहम्मद एवं वादी सं. 1 द्वारा सूरजभान पुत्र सरदूल से उक्त चक 17.600 आर.डी.आर. हाल चक 4 के.एस.एल. की 7.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 10.01.1978 को खरीद की गई। इसी प्रकार से तीर्थदास पुत्र हिम्मताराम के पास चक उदयपुर उदासर के खसरा नं. 56 मिन में 12.03 बीघा अनकमाण्ड भूमि थी जिसकी खातेदारी सनद सं. 8367/266 दिनांक 28.03.1970 को जारी हो चुकी थी जिसकी बरवक्त चकबन्दी चक 1 एम.सी. हाल चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 95/61 के किला नं. 9 ता 12/4.00 बीघा, 18 ता 23/6.00 बीघा, कुल 10.00 बीघा व चक 17.600 आर. डी.आर. हाल चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 1–2/2.00 बीघा में फिटिंग हुई। वादी सं. 1 व वादीगण के पति/पिता अतामोहम्मद द्वारा तीर्थदास की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान से उक्त खातेदारी भूमि में से उक्त चक 1 एम.सी. हाल चक 4 के.एस.एल. की 10.00 बीघा व चक 17.600 आर.डी. आर. हाल चक 4 के.एस.एल. की 2.00 बीघा, कुल 12.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 12.01.1982 को खरीद की गई। मुताबिक खातेदारी सनद व बैयनामा उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वर्तमान में उक्त कुल 12.00 बीघा रकबा चक 4 के.एस.एल. की जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज है। वादीगण के पति/पिता अतामोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है जिनके वादीगण जायज वारिसान हैं। उक्त बैयनामों के आधार पर वादी सं. 1 मुताबिक दोनों बैयनामा चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 95/61 व 95/62 की 19.00 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक है व अतामोहम्मद के नामित बैयनामा के आधार पर उक्त 19.00 बीघा में से शेष 1/2 हिस्सा में से बतौर वारिस वादीगण प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार कृषक हैं। वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 21.01.2019 को उक्त खातेदारी सनदों का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर बैयनामों का इन्द्राज दर्ज करने बाबत दो प्रार्थना–पत्र पेश किये जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने के बाद प्रतिवादी ने मौखिक रूप से कहा कि मौका पर रकबा राज है, इसलिए सक्षम

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय में बैयनामों की घोषणा करवाकर डिक्री प्राप्त करने की सलाह दी जिसके अनुसार वादीगण ने वाद–पत्र के साथ उक्त बैयनामों व सनद सं. 8368/5397 की असल प्रतियां, व सनद सं. 8367/266 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी चक 4 के.एस.एल. की प्रमाणित प्रति, प.मं. बिरधवाल की असल पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द की असल प्रतियां, मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र अतामोहम्मद की चित्रप्रतियां प्रस्तुत कर उक्त बैयनामों के आधार पर चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 3, 4, 7 ता 11 की 1.771 है0 भूमि में से 1.106 है0 भूमि का वादी सं. 1 को व शेष 0.665 है0 भूमि का वादीगण सं. 2 ता 4 को ब.हि.ब. एवं इसी प्रकार चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 95/61 (21) के किला नं. 9 ता 12, 18 ता 23 की 2.455 है0 व पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 1–2 की 0.506 है0, कुल 2.961 है0 भूमि में से 1.850 है0 भूमि का वादी सं. 1 को व शेष 1.111 है0 भूमि का वादीगण सं. 2 ता 4 को ब.हि.ब. खातेदार कृषक घोषित किया जाकर, घोषणा के फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने एवं जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने व ना ही रकबा को किसी अन्य को आवंटन या अवाप्त करने हेतु प्रतिवादी को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा मय रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक सनद सं. 8368/5397 दिनांक 28.03.1970 के अनुसार सूरजभान पुत्र सरदुल जाति बिश्नोई सा. 11 जी.बी. को रोही उदयपुर उदासर के खसरा नं. 56 में 7 बीघा खातेदारी जारी हुई थी तथा सनद सं. 8367/266 दिनांक 28.03.1970 को तीर्थराम पुत्र हिम्मताराम को रोही उदयपुर उदासर के खसरा नं. 56 में 12.03 बीघा खातेदारी जारी हुई है। संलग्न बैयनामा अनुसार सूरजभान पुत्र सरदुल जरिये मुख्तयारआम चक 17.600 आर.डी.आर. में पत्थर नं. 95/62 के 3, 4, 7 ता 11 कुल 7 बीघा तथा बैयनामा अनुसार तीर्थदास पुत्र हिम्मताराम का रकबा चक 1 एम.सी. में पत्थर नं. 95/61 किला नं. 9 ता 12/4.00 बीघा, 18 ता

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

23/6.00 बीघा, कुल 10.00 बीघा तथा चक 17.600 आर.डी.आर. में पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 1–2/2.00 बीघा, कुल 12.00 बीघा, इस प्रकार दोनों बैयनामों में वर्णित रकबा अमीर खां पुत्र अतामोहम्मद व अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मदअली द्वारा खरीद किया गया है। वादी सं. 1 व वादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा बैयनामा चक 1 एम.सी. व 17.600 में कुल 19 बीघा रकबा खरीद हुआ जो वर्तमान में चक 4 के.एस.एल. में है तथा जमाबन्दी अनुसार आराजीराज दर्ज है। दोनों बैयनामा अनुसार किलों में पैमूद रकबा में से 2.956 है0 हिस्सा वादी सं. 1 का तथा 1.776 है0 हिस्सा वादीगण सं. 2 ता 4 का बनता है। वादीगण बैयनामा अनुसार अपना नाम जमाबन्दी में खातेदार दर्ज करवाना चाहते है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित बताते हुए राज्य हित को ध्यान में रखकर वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया।

जवाब प्राप्त कर साक्ष्य लिये गये। वादीगण की ओर से वादी सं. 1 के बयान शपथ–पत्र पर पेश किये गये। बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में उपलब्ध बैयनामों व सनद सं. 8368/5397 की असल प्रतियां, व सनद सं. 8367/266 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी चक 4 के.एस.एल. की प्रमाणित प्रति, प.मं. बिरधवाल की असल पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द की असल प्रतियां, मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र अतामोहम्मद की चित्रप्रतियां, तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करवाया व निवेदन किया कि वादी व वादीगण के पति/पिता अतामोहम्मद द्वारा चक 17.600 आर.डी.आर. के पत्थर नं. 95/62 के किला नं. 3–4/2.00 बीघा, 7 ता 11/5.00 बीघा, कुल 7.00 बीघा अनकमाण्ड खातेदारी रकबा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा 10.01.1978 को सूरजभान पुत्र सरदूल जाति बिश्नोई निवासी चक 11 जी.बी. से एवं तीर्थदास पुत्र हिम्मताराम का रकबा चक 1 एम.सी. के पत्थर नं. 95/61 के किला नं. 9 ता 12/4.00 बीघा, 18 ता 23/6.00 बीघा, कुल 10.00 बीघा व चक 17.600 आर.डी.आर. के पत्थर नं. 95/62 के किला नं.

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

1–2/2.00 बीघा रकबा तीर्थदास की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस रामदेवी बेवाह चोपाराम से जरिये पंजीबद्ध बैयनामा 12.01.1982 को खरीद किया हुआ है, उक्त रकबा वर्तमान में चक 4 के.एस.एल. की जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज है जिसे उक्त बैयनामों के आधार पर चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 3, 4, 7 ता 11 की 1.771 है0 भूमि में से 1.106 है0 भूमि वादी सं. 1 के नाम व शेष 0.665 है0 भूमि का वादीगण सं. 2 ता 4 के नाम ब.हि.ब. एवं इसी प्रकार चक 4 के.एस.एल. के पत्थर नं. 95/61 (21) के किला नं. 9 ता 12, 18 ता 23 की 2.455 है0 व पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 1–2 की 0.506 है0, कुल 2.961 है0 भूमि में से 1.850 है0 भूमि वादी सं. 1 के नाम व शेष 1.111 है0 भूमि का वादीगण सं. 2 ता 4 के नाम ब.हि.ब. खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने एवं जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने व ना ही रकबा को किसी अन्य को आवंटन या अवाप्त करने हेतु प्रतिवादी को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जैरवाद रकबा, जो वर्तमान में चक 4 के.एस.एल. की जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज है, को दोनों बैयनामा व मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार किलों में पैमूद रकबा में से 2.956 है0 हिस्सा वादी सं. 1 का तथा 1.776 है0 हिस्सा वादीगण सं. 2 ता 4 वादीगण के नाम दर्ज किये जाने को उचित बताते हुए राज्य हित को ध्यान में रखकर वाद का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण ने जरिये पंजीबद्ध बैयनामों से खरीदशुदा रकबा का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहा है। पत्रावली में साक्ष्य के रूप में उपलब्ध बैयनामों व सनद सं. 8368/5397 की असल प्रतियां, व सनद सं. 8367/266 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी चक 4 के.एस.एल. की प्रमाणित प्रति, प.मं. बिरधवाल की असल पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द की असल प्रतियां, मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्रमाण–पत्र अतामोहम्मद की चित्रप्रतियों से वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। पैरोकार राज ने भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित बताया है, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 4 के. एस.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता सं. 1 में अंकित पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 3–4/0.506 है0अ0क0, 7–8/0.506 है0अ0क0, 9/0.228 है0अ0क0 0.025 है0 खाला, 10/0.240 है0क0 0.013 है0 खाला, 11/0.253 है0क0 = 1.771 है0 (0.493 है0 कमाण्ड, 1.240 है0 अनकमाण्ड व 0.038 है0 खाला) में से 1.106 है0 भूमि का अमीरखां पुत्र अतामोहम्मद व शेष 0.665 है0 भूमि का बजीरा पत्नी अतामोहम्मद, मीनाबी, लालसैनबी पुत्र/पुत्रीयान अतामोहम्मद ब.हि.ब. को एवं इसी प्रकार चक 4 के. एस.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता सं. 1 में अंकित पत्थर नं. 95/61 (21) के किला नं. 9 ता 12/1.012 है0, 18 ता 20/0.759 है0, 21/0.228 है0, 22/0.228 है0, 23/0.228 है0 = 2.455 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 1/0.063 है0क0 0.152 है0अ0क0 0.038 है0 खाला, 2/0.253 है0अ0क0 = 0.506 है0, कुल 2.961 है0 (0.063 है0 कमाण्ड, 2.860 है0 अनकमाण्ड व 0.038 है0 खाला) में से 1.850 है0 भूमि का अमीरखां पुत्र अतामोहम्मद व 1.111 है0 भूमि का बजीरा पत्नी अतामोहम्मद, मीनाबी, लालसैनबी पुत्र/पुत्रीयान अतामोहम्मद ब.हि.ब. को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है और घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार सूरतगढ़ को उक्त रकबा आराजीराज के खाता से कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

1. **अमीर खां पुत्र अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **बजीरा पत्नी अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
3. **मीना बी पत्नी फारूख पुत्री अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
4. **लालसैन बी पत्नी जुम्मेखां पुत्री अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–वादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88, 188, 92–ए व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 48 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता सं. 1 में अंकित पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 3–4/0.506 है0अ0क0, 7–8/0.506 है0अ0क0, 9/0.228 है0अ0क0 0.025 है0 खाला, 10/0.240 है0क0 0.013 है0 खाला, 11/0.253 है0क0 = 1.771 है0 (0.493 है0 कमाण्ड, 1.240 है0 अनकमाण्ड व 0.038 है0 खाला) में से 1.106 है0 भूमि का अमीरखां पुत्र अतामोहम्मद व शेष 0.665 है0 भूमि का बजीरा पत्नी अतामोहम्मद, मीनाबी, लालसैनबी पुत्र/पुत्रीयान अतामोहम्मद ब.हि.ब. को एवं इसी प्रकार चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता सं. 1 में अंकित पत्थर नं. 95/61 (21) के किला नं. 9 ता 12/1.012 है0, 18 ता 20/0.759 है0, 21/0.228 है0, 22/0.228 है0, 23/0.228 है0 = 2.455 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 95/62 (23) के किला नं. 1/0.063 है0क0 0.152 है0अ0क0 0.038 है0 खाला, 2/0.253 है0अ0क0 = 0.506 है0, कुल 2.961 है0 (0.063 है0 कमाण्ड, 2.860 है0 अनकमाण्ड व 0.038 है0 खाला) में से 1.850 है0 भूमि का अमीरखां पुत्र अतामोहम्मद व 1.111 है0 भूमि का बजीरा पत्नी अतामोहम्मद, मीनाबी, लालसैनबी पुत्र/पुत्रीयान अतामोहम्मद ब.हि.ब. को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है और घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार सूरतगढ़ को उक्त रकबा आराजीराज के खाता से कलमजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **16.12.2019** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.17 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: